**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या: 3164**
**गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

## सोलापुर हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन सेवाएं

**3164. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सोलापुर विमानपत्तन पर नागर विमानन सेवाओं को आरंभ करने और उनमें वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो आवश्यक स्वीकृतियों और अवसंरचना की तैयारी की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सोलापुर से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरू और हैदराबाद जैसे प्रमुख घरेलू गंतव्यों के लिए नियमित वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान के अंतर्गत सोलापुर के लिए चिन्हित अथवा प्रस्तावित मार्गों का ब्यौरा क्या है और इन सेवाओं को शुरू करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) सोलापुर के लिए सतत और व्यवहार्य हवाई संपर्क सुनिश्चित करने के लिए विनियामक अनुमोदन, अवसंरचना संबंधी कमियों और एयरलाइनों की भागीदारी सहित परिचालनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) से (घ): मेसर्स स्टार एयर वर्तमान में मुंबई-सोलापुर-मुंबई सेक्टर पर चार साप्ताहिक अनुसूचित उड़ान सेवाएं परिचालित कर रही है।

देश भर में अल्पसेवित और असेवित हवाईअड्डों तक पहुंच का विस्तार करके क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 04.07.2026 को उड़ान योजना का अगला चरण आरम्भ किया गया था।

इसके अलावा, इस योजना में अपेक्षाकृत लम्बी अवधि, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, की वीजीएफ व्यवस्था समाविष्ट की गई है, जिसे धीरे-धीरे कम किया जा सकेगा ताकि एयरलाइनों को व्यावसायिक रूप से संवहनीय परिचालनों की ओर बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके। उड़ान योजना का व्यापक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हवाई संपर्क समय के साथ आत्मनिर्भर हो जाए और सतत रूप से वित्तीय सहायता पर निर्भर न रहे।

योजना के तहत, सोलापुर हवाईअड्डा "अल्पसेवित हवाईअड्डा" श्रेणी में बोली लगाने के लिए पात्र है। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार योजना के प्रावधानों के अनुसार सोलापुर हवाईअड्डे को

जोड़ने वाले अपने प्राथमिकता वाले मार्गों की पहचान और प्रस्ताव बोली प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कर सकती है।

मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ ही, भारतीय घरेलू विमानन को नियन्त्रणमुक्त कर दिया गया है। एयरलाइनें किसी भी प्रकार के विमान के साथ अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, वे अपनी परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर कोई भी बाजार और नेटवर्क, जहां वे सेवाएं देना चाहते हैं, चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

******